अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
02/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 171/2011** **महेन्द्र उरांव व अन्य बनाम् केवल कच्छप** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–26–R-15/2011-12 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में विशेष विनियमन पदाधिकारी एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा भूमि वापसी के दावे को खारिज कर दिया गया है। इस वाद को सुनवाई हेतु दिनांक–15.05.2012 को अंगीकृत किया गया था। सुनवाई के दौरान केवल कच्छप की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों को प्रतिस्थापित करने हेतु विपक्षियों के द्वारा ही आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिस्थापन आवेदन पर वादी के स्तर से कार्रवाई हेतु दिनांक–27.06.2017 को आदेशित किया गया, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात् से ही वादी लगातार न्यायालय से अनुपस्थित रहे। इस प्रकार अभी तक प्रतिवादी केवल कच्छप के स्थान पर उनके वारिसों को प्रतिस्थापित भी नहीं किया जा सका है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी की तरफ से दायर सूचना के अनुसार केवला कच्छप के नावल्द मृत्यु के पश्चात् उरांव परम्परागत नियम के अनुसार उनकी सम्पति पर उनके छोटे भाई के द्वारा दावा करते हुये प्रतिस्थापन का आवेदन दिया गया है। विचारणीय है कि आवेदक के तरफ से इस सूचना के बाद भी विगत् 05 वर्षों से प्रतिस्थापन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष–2013 में विपक्षी को निर्गत नोटिस बिना तामिला के इस सूचना के साथ वापस आया कि ऐसा कोई व्यक्ति बड़गई ग्राम में निवासी नहीं है। स्पष्टतः यह माना जा सकता है कि विपक्षी केवाला कच्छप की मृत्यु उसी समय हो गयी थी। इस प्रकार विगत् 10 वर्षों से इस वाद में प्रतिस्थापन की कार्रवाई नहीं की गयी है। लगातार मौका दिये जाने के पश्चात् भी अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। दिनांक–09.02.2021, 03.01.2021, 28.03.2022, 11.04.2022 को लगातार मौका दिये जाने के पश्चात् भी अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित हुये, न ही उनके तरफ से	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	कोई लिखित बहस दायर की गयी। अंततः उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। विपक्षी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया तथा लिखित बहस भी दायर की गयी। प्रश्नगत् वाद में भूमि का खतियान विशुन उरांव व वगैरह के नाम पर कायमी दर्ज है। इसी खतियानी रैयत के पुत्र महली उरांव द्वारा अनुमति वाद संख्या–126–R08(ii)/1993-94 के द्वारा विधिवत् अनुमति प्राप्त करते हुये निबंधित पट्टा के माध्यम से उक्त भूमि केवला उरांव जो महली उरांव के दामाद थे, उन्हें दान दी गयी। इस दानपत्र अथवा अनुमति वाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। आवेदक एक अन्य खतियानी रैयत के वारिस है, जो उरांव परम्परागत अधिनियम के अनुसार प्रश्नगत् भूमि पर अपना दावा कर रहे है। उनका कथन है कि विपक्षियों को उक्त भूमि को दान पत्र से प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था एवं उक्त दान पत्र जालसाजी से बनाया गया है। विचारणीय है कि प्रश्नगत् दान पत्र निबंधित दस्तावेज है। 1995 में उक्त दान पत्र के निबंधन के पश्चात् नामान्तरण वाद संख्या–22/1995–96 के द्वारा प्रश्नगत् भूमि का नामान्तरण भी विपक्षी के नाम पर किया जा चुका है। आवेदकों के तरफ से उक्त नामान्तरण वाद में भी कभी आपत्ति दर्ज नहीं की गयी। निम्न् न्यायालयों द्वारा यह स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया गया है कि ग्राम–बुटी, खाता–162, प्लॉट नम्बर–2024, रकबा–25 डिसमिल भूमि विधिवत् अनुमति के पश्चात् ही हस्तांतरित की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत् विषय में धारा–71 ए के प्रावधान लागू नहीं होते है। आवेदकों के तरफ से इस न्यायालय में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उक्त आदेशों में पुर्नविचार करने की आवश्यकता हो। आवेदक लगातार इस न्यायालय से अनुपस्थित है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI Date: 2022.08.02 13:20:59 +05:30 Location: 192.168.1.40 प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	